

ई-डिस्ट्रिक्ट के अन्तर्गत जारी..



## उत्तर प्रदेश शासन

उत्तर प्रदेश के पिछड़ी जाति के लिए जाति प्रमाण पत्र

जिला कौशाम्बी  
तहसील मनझनपुर  
आवेदन क्र० 211740030073879  
प्रमाणपत्र क्र० 442213012761

जारी दिनांक: 18/08/2021

प्रमाणित किया जाता है कि  
पुत्र/पुत्री  
माता का नाम  
निवासी  
ग्राम  
तहसील  
जिला

प्रतीक सिंह  
मनबोधन सिंह  
ग्राम चक मजरा थाम्भा पोस्ट नारा  
थाम्भा  
मनझनपुर  
कौशाम्बी



उत्तर प्रदेश राज्य की कुर्मी जाति के व्यक्ति हैं। यह उत्तर प्रदेश लोक सेवा अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण अधिनियम १९९४ की अनुसूची एक के अन्तर्गत मान्यता प्राप्त है। यह भी प्रमाणित किया जाता है कि प्रतीक सिंह पूर्वोक्त अधिनियम १९९४ (गया संशोधित) की अनुसूची २ (जैसा कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा) अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण (संशोधन) अधिनियम २००१ द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है एवं जो उ०प्र० लोक सेवा अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण (संशोधन) अधिनियम २००२ एवं शासनादेश संख्या 22/16/92 टी० सी०-III, दिनांक २० अक्टूबर २००८ द्वारा संशोधित की गई है, से आच्छादित नहीं है। इनके माता-पिता की निरन्तर तीन वर्षों की अवधि के लिये सकल वार्षिक आय आठ लाख रुपये या इससे अधिक नहीं है तथा इनके पास धन कर अधिनियम १९५७ से गया विहित छूट सीमा से अधिक सम्पत्ति नहीं है।



जारी कर्ता केन्द्र: महेंद्र सिंह, सीएसटी गवर्नेस जन सेवा केंद्र  
पद: महेंद्र सिंह, केन्द्र प्रभारी  
स्थान: Chak Thambha, मनझनपुर  
चकथामा, मनझनपुर, मनझनपुर  
दिनांक: 18/08/2021

RAM  
Digitally Signed by  
RAM, JEE  
JEE  
O-EDUCATION  
DEPARTMENT,  
OU-EDUCATION  
DEPARTMENT,  
UTTAR  
PRADESH

सक्षम अधिकारी/तहसीलदार  
डिजिटल हस्ताक्षरित  
मनझनपुर, कौशाम्बी  
दिनांक: 18/08/2021

हस्ताक्षर एवं मुहर

यह प्रमाण पत्र इलेक्ट्रॉनिक डिलिवरी सिस्टम द्वारा तैयार किया गया है तथा डिजिटल सिग्नेचर से हस्ताक्षरित है। सम्बन्धित फोटो के अधिकृत कर्मी द्वारा प्रमाणित किया गया है। यह प्रमाण पत्र वेबसाइट <http://edistrict.up.gov.in> पर एक्सेस करने के लिए आवेदन क्र० फिर प्रमाणपत्र क्र० अंकित कर, तैयार किया जा सकता है।